



प्रेस नोट कुर्की थाना रसूलपुर दिनांक 11-07-2025 जनपद फिरोजाबाद ।

□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त मायाराम की मूल्य 03 लाख 85 हजार रुपये (3,85,000 रुपये) की चल सम्पत्ती को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

□ पूर्व में भी दिनांक 02-07-2025 को थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त मायाराम की मूल्य 04 लाख 23 हजार तीन सौ रुपये (4,23,300 रुपये) की अचल सम्पत्ती को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है ।

■ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में आदतन अपराधियों पर लगातार की जा रही है धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही.....

■ अभियुक्त मायाराम द्वारा लगातार अपराध कारित कर अवैध चल / अचल सम्पत्ती अर्जित की गयी है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों को विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रसूलपुर पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा थाना रामगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2025 धारा 2/3 गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित अभियुक्त मायाराम पुत्र मानिकचन्द्र निवासी दतौजी खुर्द, थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में चल सम्पत्ती (एक गाडी चार पहिया डिजायर वीएक्सआई गाडी नम्बर यूपी 83 बीबी 6545 मूल्य तीन लाख 85 हजार रुपये) को आज दिनांक 11-07-2025 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है । पूर्व में भी दिनांक 02-07-2025 को अभियुक्त मायाराम की अचल सम्पत्ति मूल्य 04 लाख 23 हजार तीन सौ रुपये (4,23,300 रुपये) को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है । अभियुक्त मायाराम द्वारा लगातार अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित किया गया है ।

1-अभियुक्त मायाराम पुत्र मानिकचन्द्र निवासी दतौजी खुर्द, थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मायाराम उपरोक्त:-

1-मु0अ0सं0 130/2020 धारा 13जी एक्ट थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद ।

2-मु0अ0सं0 198/2020 धारा 13जी एक्ट थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद ।

3-मु0अ0सं0 160/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।

अभियुक्त मायाराम की कुर्क की गयी अचल सम्पत्ती का विवरण:-

क्र0सं0	सम्पत्ती स्वामी का नाम	सम्पत्ती का प्रकार	मूल्यांकन (रु0 में)
1	मायाराम पुत्र मानिकचन्द्र निवासी दतौजी खुर्द, थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद ।	एक गाडी चार पहिया डिजायर वीएक्सआई गाडी नम्बर यूपी 83 बीबी 6545	3,85,000.00 रुपये
कुल कुर्क की गयी सम्पत्ती का मूल्य रूपयों में:----			3,85,000.00 रुपये (03 लाख 85 हजार रुपये)

